कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

कमांक :– 46 दिनांक :– 04.10.2025

–: संशोधित कार्यालय आदेश :–

(रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 05.10.2025)

मैं, ज्योति सिंह मीना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के पत्र कमांक स्थापना/2025/4837 दिनांक 24.09.2025 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 एवं 13(2) (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 14 व 15(2)) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में पारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश पारित करती हूँ कि दिनांक 05.10.2025 के लिये कॉलम संख्या 2 में अंकित अवकाश के दिन धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों) से संबधित मामलों की सुनवाई कॉलम संख्या 3 में अंकित पीठासीन अधिकारी जिनके न्यायालय के नाम कॉलम संख्या 4 में अंकित है, करेंगे। शेष आदेश यथावत् रहेगा :–

क.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर	पद
1.	05.10.2025	श्रीमती ज्योति सिंह मीना मो.नं. 9636521102	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर

नोटः–

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु समय 11.00 ए.एम. से 2.00 पी.एम. के लिये न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।
2. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि से पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।

—Sd—
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर

कमांकः रीडर/2025/941 दिनांक 04.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर ।
2. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
3. श्रीमती ज्योति सिंह मीना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
4. सुश्री रेणु कुमारी गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैंपऊ।
5. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर।
6. अधीक्षक, जिला कारागृह, धौलपुर।
7. इंचार्ज पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर।
8. सर्वर रूम, जिला न्यायालय धौलपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर